



संख्या- / जी०एस० / शिक्षा / A4-178 / 2020

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु
सचिव श्री राज्यपाल।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय,
देहरादून।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड :

देहरादून : दिनांक : 24 फरवरी, 2020

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या 2213, दिनांक 25-11-2019 एवं पत्र संख्या 2214, दिनांक 25-11-2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- तत्काल में यू०जी०सी० विनियमों के अनुसार वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर सम्बद्धता निर्गत किये जाने के निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल, कुलसचिव व कुलपति, उ०त०वि० की संस्तुति के दृष्टिगत उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (यथा संशोधित) की धारा-24(2) के अधीन निम्न संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की नवीन अस्थाई सम्बद्धता हेतु मा० कुलाधिपति द्वारा पूर्व स्वीकृति/पूर्वानुमोदन निम्नवत् उपबन्ध के साथ प्रदान किया गया है :-

संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या	शैक्षिक सत्र
1	2	3	4
माया इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी व मैनेजमेंट, चकराता रोड़, सेलाकुई, देहरादून।	बी०फार्मेसी	60	2019-20

(1) विश्वविद्यालय, संस्थान में कार्यरत फैकल्टी का अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी करें और कार्यपरिषद यू०जी०सी० विनियमों एवं आवश्यक मानकों के पूर्ण होने की दशा में अस्थाई सम्बद्धता विषयक निर्णय लेकर आदेश निर्गत करें व कृत कार्रवाई से मा० कुलाधिपति जी को अवगत कराये।

3- अग्रेत्तर सत्रों के प्रस्ताव यथा समय सारिणी प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा। तदनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(रमेश कुमार सुधांशु)
सचिव श्री राज्यपाल।

संख्या- 4121 (1) / जी०एस० / शिक्षा / A4-178 / 2020 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य/प्रबन्धक, उपरोक्त सम्बन्धित संस्थान/कॉलेज।
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(विक्रम सिंह यादव)
संयुक्त सचिव श्री राज्यपाल।